

१५/८
२०२५

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उक्त पक्ष ५
रहुवाप उक्त पक्ष अनुपस्थित। बार-बार
आवाज दिलवायी जाने पर भी वहीगण की
झोर से कोई उपस्थित नहीं। अतः डावा
वहीगण अदन हाजरी अदन पेशी में खारिज
किया जाता है। पत्रावली केवल शुना दौरा
नम्बर से कम होगा देखा जा रहा है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)